(333) (209)

निग0-5084/2018/सीधी/भू.रा0

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष/सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

मंगलेश्वर सिंह चौहान तनय धर्मराज सिंह चौहान पेशा खेती निवासी ग्राम गाड़ा बबन सिंह तह0 गोपद बनास, जिला सीधी (म0प्र0) .... **निगरानीकर्ता**

बनाम

मध्यप्रदेश शासन(राजस्व) ....**गैरनिगरानानीकर्ता**

अधि0 श्री हेमकुमार अग्निहोत्री द्वारा पेश। 21.8.18

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय संभाग रीवा लिंक कोर्ट सीधी के प्र.क. 370/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 10.07.18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–रा0 संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

यह कि पुराना आ0नं0 505, 551, 543, 540, 592, 615, 695 किता 7 भूमियां ग्राम गाड़ा बबन सिंह, तह0 गोपद बनास जिला सीधी में स्थित हैं जिसके पूर्व भूमिस्वामी निगरानीकर्ता के पिता धर्मराज सिंह चौहान थे। 1972–73 में अधिकार अभिलेख (रिकार्ड आफ राइट) तैयार किया गया जिसमें ऊपर वर्णित पुराने नंबर परिवर्तित होकर आ.नं. 604, 605, 608, 618, 693, 727, 793 किता 7 रकवा 3.028 हे0 का निर्माण किया गया, इन नंबरों के भी भूमिस्वामी निगरानीकर्ता के पिता धर्मराज सिंह अभिलेखों में रहे आये। वर्ष 1997–98 में सर्वे बंदोबस्त के दौरान जब रिनंबरिंग सूची तैयार की गई तब पुराने नंबरों से नए सर्वे नंबर 495, 499, 498, 909, 1023 कुल 5 किता नये नंबर तैयार किए गए। रिनंबरिंग सूची तैयार करते समय कोई भी सूचना व जानकारी निगरानीकर्ता व उसके पिता को नहीं दी गई और एकपक्षीय तरीके से उक्त भूमियों को जो कि निगरानीकर्ता के स्वत्व व आधिपत्य की भूमियां थी उन भूमियों को म0प्र0शासन लेख कर दिया गया जबकि नये सर्वे नं. 1023 में निगरानीकर्ता की पुरानी आबादी है, उसमें पेड़ पौधे व बाड़ी लगी हुई है। सितम्बर 2016 में निगरानीकर्ता को यह जानकारी हुई कि उसके स्वत्व व आधिपत्य की भूमियां खसरे में मध्यप्रदेश शासन लेख है तब वह पुराने अधिकार अभिलेख व सर्वे बंदोबस्त वर्ष 1997–98 के खसरे की नकल पाने हेतु नकल का आवेदन अभिलेखागार में पेश किया जिसमें नकल आवेदन

(209)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग० 5084/2018/सीधी जिला– सीधी

मंगलेश्वर सिंह चौहान विरूद्ध म०प्र० शासन

(1)	(2)	(3)
16-1-19–	1. आवेदक की ओर से श्री हेम कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 370/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 10.07.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21.08.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	